न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 07/2015–16
तरूण उर्फ कालिया कुमार महतो
बनाम
देवनारायण महतो वगै0

16.11.2017

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह नामांतरण अपील वाद अपीलार्थी तरूण उर्फ कालिया कुमार महतो पिता स्व0 नन्दकिशोर महतो, सा0 भैंसमारी हल्दीटोला, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 में दिनांक 16.12.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध की गई है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर वाद की कार्यवाही दिनांक 13.10.2015 को प्रारम्भ की गयी है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणीः–

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
महासिंगपुर	454/6	2110	03 कट्ठा 13 धूर
		2111	01 बीघा 04 कट्ठा 16 धूर
कुल रकवा			01 बीघा 08 कट्ठा 09 धूर

आज उत्तरवादी उपस्थित। अपीलार्थी अनुपस्थित। फलस्वरूप उत्तरवादी को एक पक्षीय सुना। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहना है कि प्रश्नगत जमीन उत्तरवादीगण के पिता के द्वारा जमाबंदी रैयत के भाई से निबंधित विक्रय केवाला 3643/1979 दिनांक 30.07.1979 के द्वारा क्रय कर प्राप्त किये है तथा अपने नाम से नामांतरण कराके शांतिपूर्ण दखल कब्जे के साथ चास आबाद करते आ रहे हैं। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 में दिनांक 16.12.2013 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये है।

विलम्ब से अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी ने संक्षिप्त में कहा कि वर्णित 01 बीघा 08 कट्ठा 09 धूर जमीन दो निबंधित केवाला 508/501 दिनांक 13.02.2015 एवं 2277 दिनांक 09.06.2014 के द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों से क्रय कर प्राप्त किये हैं एवं नामांतरण के लिए अंचल कार्यालय राजमहल में आवेदन दाखिल किये तथा अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन को स्वीकृत किये। अपीलार्थी वर्णित जमीन 01 बीघा 08 कट्ठा 09 धूर में वर्ष 2013–14 से शांतिपूर्वक दखल भोग में है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरवादी ने वर्णित जमीन जाली विक्रय केवाला सं0 3643 दिनांक 30.7.1979 के द्वारा क्रय कर प्राप्त किये हैं तथा 32 वर्ष काल बाधित के बाद नामांतरण आवेदन अंचल अधिकारी के द्वारा दायर किये है एवं अंचल अधिकारी, राजमहल ने बिना स्थल जाँच किये उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण किये हैं, जबकि उत्तरवादी का नामांतरण आवेदन 32 वर्ष काल बाधित है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के नामांतरण अपील आवदेन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किये हैं।

उभय पक्षों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किये हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपने मूल आवेदन के साथ सिर्फ नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 का दिनांक 02.12.2013 से 16.12.2013 तक का आदेश फलक ही दायर किया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल को इस अपील वाद में मूल अभिलेख हेतु तीन स्मार पत्र भेजा गया, लेकिन मूल अभिलेख आज तक अप्राप्त है। फलस्वरूप इस अभिलेख में संलग्न नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर सुनवाई की गई।

अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण अपील वाद सं0 1065/2012–13 की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि विक्रेता/दाता झलिया देवी पति स्व0 असादी महतो सा0 हल्दीटोला है।
2. हल्का कर्मचारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि खतियान एवं पंजी II का मिलान

Scanned with CamScanner

किया जो सही पाया। आवेदकगणों के पिता के द्वारा जमाबंदी रैयत के भाई से केवाला सं0 ... दिनांक 22.06.1979 के द्वारा खरीदकर शांतिपूर्वक दखल में है। प्रस्तावित भूमि भूदान, भूहदब आम खास, बासगीत पर्चा एवं रेलवे कलास से मुक्त है। अतः नामांतरण की स्वीकृति दी जा सक है। जाँच प्रतिवेदन में नामांतरण के पूर्व वर्णित जमीन के अधिकारी (मूल होल्डिंग) का नाम मौजीलाल महतो सा0. कटघर है एवं नयी होल्डिंग का नाम क्रमशः 1. देवनारायण महतो 2. सत्यनारायण महतो 3. पुरण महातो पिता असाडी महतो सा0 हल्दीटोला है।

3. अंचल अधिकारी, राजमहल के द्वारा नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 में नामांतरण हेतु मौजा के 16 आना रैयतों को आम सूचना निर्गत करने एवं विधिवत तामिला प्राप्त होने के पश्चात 16 आना रैयतों से अनापत्ति अप्राप्त है।
4. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, राजमहल ने उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

अपीलार्थी के द्वारा दायर मूल आवेदन तथा नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 के अवलोकन करने तथा उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. वर्णित जमीन को लेकर उभय पक्षों के द्वारा दावा किया जा रहा है तथा नामांतरण आवेदन को स्वीकृत किया गया बतायें हैं।
2. नामांतरण वाद सं0 1065/2012–13 में नामांतरण हेतु दाखिल आवेदन में दाता (विक्रेता) आलिया देवी पति स्व0 असाडी महतो सा0 हल्दीटोला है, जबकि राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन में नामांतरण के पहले मूल होल्डिंग का नाम मौजीलाल महतो सा0 कटघर है। उक्त प्रतिवेदन एवं नामांतरण हेतु दाखिल आवेदन में खतियानी रैयत एवं विक्रेता (दाता) के साकिन को लेकर विरोधाभाष है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया जाता है कि दोनों ही पक्ष वर्णित जमीन के संबंध में नामांतरण कराये हुए बताते हैं। अतः अंचल अधिकारी, राजमहल को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों के दावे के संबंध में स्थलीय जाँचोपरांत यथोचित कार्रवाई करते हुये कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ। इस निदेश के साथ आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त (Drop) की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/11/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

6/11/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner